

दिनांक: 20.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 16.12.2023 को प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि मामले में प्रतिवादी सं० 4 और 10 ने न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर सूचित किया कि वादी सं० 03 मो० मुरत कुंवर का निधन 30.10.2023 को हो गया चूंकि वो नावल्द है अतः उनका नाम कलमजद करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 8 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार वादी सं० 03 मो० मुरत कुंवर का निधन 30.10.2023 को हो गया चूंकि वो नावल्द है अतः उनका कलमजद करने की कृपा करें। मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन समय से दिया गया है प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत वादी सं० 3 का नाम कलमजद किया जाए। वाद दिनांकवास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थान: अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश तृतीय I/c
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।